



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)

दूरभाष : (07752) 240702, 240712

www.pssou.ac.in, E-mail – registrar@pssou.ac.in

क्रं. 1029(5)/प्रशा./वि.प./बैठक/18

बिलासपुर, दिनांक 02/06/2018

पंजीकृत डाक/वास्ते-हस्त

प्रति,


1. डॉ. बी.एल. गोयल
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
2. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
3. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
4. डॉ. (श्रीमती) प्रीतिरानी मिश्रा
सहायक प्राध्यापक (ग्रंथालय विज्ञान)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
5. डॉ. (श्रीमती) प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
6. प्रो तीर्थेश्वर सिंह
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
7. डॉ. संजय तिवारी
आचार्य, इलेक्ट्रानिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
8. प्रो. बी. एन. तिवारी,
आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर

9. श्री शंशांक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय परिसर,
रायपुर (छ.ग.)
10. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, खंड सी
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय :- विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक की कार्यवाही विवरण का प्रेषण।
महोदय/महोदया,


पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के विद्या
परिषद् की 26 वीं बैठक दिनांक 01/06/2018 के कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं
बहुमूल्य सम्मति हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


कुलसचिव

पृ. क्रं. /प्रशा./वि.प./बैठक/18 बिलासपुर, दिनांक /06/2018
प्रतिलिपि -

1. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, अकादमी विभाग। कार्यवाही-विवरण की प्रति संलग्न कर
इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विद्या परिषद् में लिये गये निर्णयों पर पालन प्रतिवेदन
शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत करें।
4. नस्ती हेतु।


कुलसचिव

पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्रमांक 26 सन् 2004 द्वारा स्थापित)



कार्यवाही विवरण

विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक
दिनांक 01/06/2018, दिन शुक्रवार
समय : 12:00 बजे दोपहर
स्थान – सिरपुर प्रशासनिक भवन, बिलासपुर

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर की विद्यापरिषद् की 26 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 01/06/2018 को दोपहर 12:00 बजे विश्वविद्यालय के "सिरपुर प्रशासनिक भवन" बिलासपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. डॉ. बी.एल. गोयल - सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
3. प्रो तीर्थेश्वर सिंह - सदस्य
आचार्य एवं अध्यक्ष,
अधिष्ठाता मानविकी, भाषाशास्त्र एवं जनजातीय अध्ययन
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकण्टक,
जिला- अनूपपुर (म0प्र0)
4. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा नामांकित वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक)
5. डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति - सदस्य
सहायक प्राध्यापक (हिन्दी विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)
6. डॉ. प्रीति रानी मिश्रा - सदस्य
सहायक प्राध्यापक
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित)

R. W. S. S.

B. S. S. 01.06.18

7. डॉ. राज कुमार सचदेव
कुलसचिव
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर — सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके —

1. आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
नया रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
2. प्रो. संजय तिवारी,
आचार्य, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
3. प्रो. बी. एन. तिवारी,
आचार्य, माइक्रोबायोलॉजी विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर — सदस्य
4. श्री शंशाक शर्मा
संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी
रायपुर (छ.ग.) — सदस्य
5. डॉ. प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय
छत्तीसगढ़, बिलासपुर
(माननीय कुलपति जी द्वारा अध्यक्ष, अध्ययन मंडल के रूप में नामांकित) — सदस्य

गणपूर्ति के अभाव में कार्यपरिषद् की बैठक स्थगित की गई तथा आधे घंटे के बाद स्थगित बैठक प्रारंभ की गई। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात् सचिव के द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से निम्न प्रस्ताव विचार हेतु रखे गये —

प्रस्ताव क्र. 01 अध्यादेश क्रमांक 01 (**Admission of Students**) में कुछ प्रावधानों को जोड़कर संशोधित करने पर विचार।

निर्णय — 1. सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी पृष्ठों में भाषा वर्तनीय के त्रुटियों को दूर करने हेतु डॉ. बीना सिंह तथा डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति अपना

Revised

BT L 7

अवलोकन प्रस्तुत करेंगे तथा तदानुसार आर्डिनेन्स ड्राफ्ट में संशोधन कर विद्या परिषद् की तरफ से कार्यपरिषद् में रखा जाये। भाषागत त्रुटियों के संशोधन को विद्या परिषद् में पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है।

2. प्रस्तुत अध्यादेश/प्रावधानों में निम्नानुसार प्रतिस्थापना/जोड़ना/हटाने का अनुमोदन किया गया है -

पृ. क्र.	पार्ट/कंडिका	प्रावधान	प्रतिस्थापना/जोड़ना/हटाना
1	2	3	4
6	PART-A A-1	Admission to the University under the scheme of distance education shall be open to the residents of Chhattisgarh irrespective of caste and creed having the following objective -	Admission to the University under the scheme of distance education shall be open to all irrespective of caste and creed having the following objectives -
14	PART-B 10(d)	200 days	300 days
15	PART-B 13(b)	The candidate shall submit six copies of the summary of the thesis together with a list of at least one research paper published or accepted for publication in a refereed journal through his/her Supervisor to the Registrar about two months prior to the anticipated date of submission of thesis.	The candidate shall submit six copies of the summary of the thesis together with a list of research paper(s) published or accepted for publication in a refereed journal through his/her Supervisor to the Registrar about two months prior to the anticipated date of submission of thesis.
16	PART-B 14(a)	Ph.D. scholars must publish at least one (1) research paper in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.	Ph.D. scholars must publish research paper(s) in refereed journal and make two paper presentations in conferences/seminars as per UGC Norms before the submission of the dissertation/thesis for adjudication, and produce evidence for the same in the form of presentation certificates and/or reprints.
26	PART-C 11(1)	Execution Council	Executive Council
26	PART-C 11(2)	Execution Council	Executive Council
27	PART-C C- 1.1	C- 1.1 के सभी प्रावधान	नया C-1.1 का प्रतिस्थापन निम्नानुसार - (i) Non-professional Graduate (B.A./B.Sc./B.Com.) and Post Graduate (M.A./ M.SC.)

R. W. W. W.

B. G. L.

		<p>programmes will offer choice based credit courses for students in their final year. Students may opt any one paper from the list given in the admission brochure in lieu of any one paper of his/her main subjects. The credits and grade points earned will be accommodated in the marksheet with a remark "CBCS Paper".</p> <p>(ii)</p> <p>(a) Non-professional graduate (B.A./B.Sc./ B.Com.) and Post Graduate (M.A./M.Sc.) programmes will provide students an opportunity to opt an online course from the list of MOOCs at SWAYAM Platform of MHRD, Govt. of India. Credits earned while doing online course will be accommodated with the main course.</p> <p>(b) At graduation level, maximum two papers will be accommodated in lieu of his/her original paper(s), while only one paper will be allowed to be replaced by the online course at post graduate level.</p> <p>The online course through SWAYAM will be allowed in the complete duration of a course; however, students will have to inform the University about his/her online course in advance, and about the subject and paper(s) in lieu of which the online course will be chosen.</p> <p>(iii) The University will also provide online courses in the programmes currently run by the University in accordance with the rules/regulations led by the UGC/MHRD, Govt. of India/State Govt.</p> <p>The examination of such online courses will be conducted online in conformity with the policy of UGC/MHRD. Other provisions will be same as in the case of specific courses being provided offline.</p> <p>The Online programmes comprise of online (i) admission, (ii) delivery of study material, (iii) submission of assignments and</p>
--	--	---

Rudra

BCL

			(iv) term end examination along with assessment of submitted assignments and answer sheets of term end examinations. The Course and fee will be same as in the case of existing open mode courses of the University. Other provisions will also be the same.
47	PART-C (20)	मानद उपाधि के लिए Citation जो विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है उसे कुलाधिपति अपने ढंग से परिवर्तित कर सकेंगे।	मानद उपाधि के लिए Citation जिसे कुलाधिपति की उपस्थिति में विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाना है उसे कुलाधिपति अपने ढंग से परिवर्तित कर सकेंगे।
47	PART-C (24)	दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा के लिए कुलसचिव, कुलाधिपति या कुलपति (जैसी भी स्थिति हो) से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा की अनुमति प्राप्त करेंगे तथा दीक्षांत समारोह समाप्ति घोषणा करेंगे। इसके पश्चात् जुलूस दीक्षांत हॉल से बाहर जुलूस के रूप में जायेगा। इस बीच सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।	दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा के लिए कुलसचिव, कुलाधिपति या कुलपति (जैसी भी स्थिति हो) से दीक्षांत समारोह समाप्त करने की घोषणा की अनुमति प्राप्त करेंगे तथा दीक्षांत समारोह समाप्ति की घोषणा करेंगे। इसके पश्चात् जुलूस दीक्षांत हॉल से बाहर उल्टे क्रम में जुलूस के रूप में जायेगा। इस बीच सभी लोग अपने स्थान पर खड़े रहेंगे।
51	PART-E 1.1 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
53 56 60 69 72 74 78 80	PART-E E-1.1 - 9 E-1.2 - 9 E-1.3 - 9(g) E-2.1 - 11(d) E-2.2 - 11(d) E-2.3 - 9(d) E-2.5 - 10(d) E-2.6 - 11(d) E-3.5 - 12(C)	A student who has not completed programme/ course within maximum time limit (six year) Student may apply for Re-Registration. The credits earned/ obtained during previous registration will be carried forward.	A student who has not completed programme/ course within maximum time limit (six year) Student may apply for Re-Registration.
53 56 60 70 72 75 78 80	PART-E (1) 1.1 - 11 (2) 1.2 - 11 (3) 1.3 - 11 (4) 2.1 - 13 (5) 2.2 - 13 (6) 2.3 - 13 (7) 2.5 - 12 (8) 2.6 - 13	Maximum 05 (five) marks may be given to a student as Grace Marks provided in the ordinance.	Maximum 05 (five) marks may be given to a student as Grace Marks as per provisions given in the ordinance.

R. Waha

59/2

81	(9) 2.7 - 12		
89	(10) 3.4 - 12		
91	(11) 3.5 - 14		
94	(12) 3.7 - 12		
97	(13) 3.9 - 13		
99	(14) 3.10 - 12		
101	(15) 3.11 - 12		
103	(16) 3.12 - 12		
105	(17) 3.13 - 12		
54	PART-E 1.2 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
57	PART-E E-1.3 - 3	Duration (के बाद)	Duration 3 = years, Maximum duration will be 6 year जोड़ा जाये।
77	PART-E E-2.5 - 4	Duration of Course/Programme shall be of two years /four semesters consisting of courses of at least 40 credits in one year or 20 credits in one semester.	Duration of Course/ Programme shall be of two years / four semesters consisting of courses of at least 40 credits in one year or 20 credits in one semester. Maximum duration will be of 4 years.
79	PART-E E-2.6 - 3	Duration of Course/Programme shall be of two years or Four Semesters, and, papers will be decided by the Board of Studies.	Duration of Course/ Programme shall be of two years or Four Semesters, and, papers will be decided by the Board of Studies. Maximum duration will be 4 years.
80	PART-E E-2.6 - 15	It is also provided that considering the decision passed by the legal educational Committee of BCI in its meeting held on 7 th July 2012 that the Master Degree of Law conferred by open University or obtained from distance mode educational programme will not be recognized for teaching purpose the degree of master of Laws of this University will be subjected to the final decision of BCI regarding the recognition for the teaching purpose	It is provided that according to the decision made by the Legal Education Committee of BCI at its meeting held on 7 th July 2012, any LL.M. degree through Distance/ Correspondence course should not be considered qualification for appointment to teach law to the students. Thereafter, the Sub Committee constituted by the BCI at its meeting held on 12 th November 2012 decided that the decision of the Legal Education Committee be kept in abeyance till the final decision . The BCI at its meeting held on 18 th November 2012 accepted the decision of the Sub Committee. Thus the Circular No. BCI:D:1661/2012 (LE.Affi.) dated 21.08.2012 has been kept in abeyance till the final decision to be taken in this regard .
81	PART-E E-2.7 - 3	Minimum duration of programme shall be of two years and Maximum duration will be of five years.	Minimum duration of programme shall be of two years and Maximum duration will be of four years.

Revised

BT 12

85	PART-E E-3.2 - 9	two	three
85	PART-E E-3.2 - 11	Pass Percentage and Division	Pass Percentage/Grace /Grade Points
93	PART-E E-3.7 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
95	PART-E E-3.8 - 7	विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार या अध्ययन मंडल के निर्णय अनुसार होगी।	विश्वविद्यालय अध्यादेश के अनुसार होगी।
96	PART-E E-3.9 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
104	PART-E E-3.13 - 3	Minimum duration of programme shall be of one year.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
106	PART-E E-4.1 - 6	15	10
113	PART-E E-4.5 - 3	This course shall be of one academic year's.	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
115	PART-E E-4.6 - 3	This course shall be of one academic year's duration (as per calendar of the university).	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.
118	PART-E E-4.8 - 3	This course shall be of one academic years duration (as per calendar of the university).	Minimum duration of programme shall be of one year. Maximum duration will be three year.

3. पृष्ठ क्रमांक 05 में कम संख्या 47 पर E-4.9 "Diploma in Elementary Language Teaching (DELT)" बढ़ाया जाय तथा तदनुसार पृष्ठ क्रमांक 119 पर E-4.9 निम्नानुसार अंश को जोड़ा जाये -

E-4.9: Diploma in Elementary Language Teaching.

- 1 **Course Title:** Diploma in Elementary Language Teaching.
- 2 **Eligibility:** 10+2 or Equivalent.
- 3 **Duration of Course:** The minimum duration of the course shall be of one year and maximum will be three years from registration.
- 4 **Medium of Instruction:** The medium of Self-Learning Material will be Hindi. However, student may opt to write the answer in Hindi/English in continuous evaluation (TMA) term end examination(TEE).
- 5 **Programme Structure:** As per decision of Board of Studies of Education.

R. W. S. D.

H. S. D.


- 6 **Examination Scheme, Evaluation Criteria and Result:** As per provisions given in the Ordinance.
- 7 **Other Provisions:** As per provisions given in the Ordinance.”


4. अध्यादेश के अंतिम भाग के रूप में **F-1 (Repealed Provisions)** के निम्नलिखित प्रावधान को सरल क्रमांक 49 में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया –

“ F-1: Repealed Provisions

Prior to implementation of amendment/repealment/addition in the Ordinance No. 1, the courses and other activities run/done by the University will be treated/regulated by the then existing provisions of the University. After implementation of the amendment/ addition in the Ordinance No.1, all the courses and related activities will be regulated by the provisions of this Ordinance”.

बैठक के अंत में अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुये बैठक समाप्त की गई।


(डॉ. राजकुमार सचदेव)
कुलसचिव / सचिव


(डॉ. बंश गोपाल सिंह) 21.06.18
कुलपति / अध्यक्ष



पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
कोनी-बिरकोना मार्ग, बिलासपुर (छ.ग.)
दूरभाष : (07752) 240702, 240712, 240752

क्रं. 1048 / का.प. / बैठक / 18,

बिलासपुर, दिनांक 11/06/2018

// अधिसूचना //

पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर के कार्यपरिषद की 72 वीं बैठक माननीय कुलपति की अध्यक्षता में दिनांक 09/06/2018, दिन शनिवार, समय 12:00 बजे दोपहर विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र रायपुर में आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार उपस्थिति रही -

1. डॉ. बंश गोपाल सिंह - अध्यक्ष
कुलपति
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
बिलासपुर
2. प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव - सदस्य
आचार्य
मानविकी अध्ययन विभाग
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
(कुलपति, इग्नू के द्वारा नामांकित)
- श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट - सदस्य
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नामांकित)
- श्री एस.के. चक्रवर्ती - सदस्य
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग के द्वारा नामांकित)
- श्री एस. एल. नायक - सदस्य
संयुक्त सचिव
छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
नया रायपुर (छ.ग.)
(सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नामांकित)

Beel
11.6.18

BSL
11.6.18

6. डॉ. एस. के. जाधव
प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य) - सदस्य
7. डॉ. एस. आर. पटेल
पूर्व अधिष्ठाता
ठाकुर ठेदीलाल बेरिस्टर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र
बिलासपुर (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य) - सदस्य
8. श्री ओ. पी. सिंघानिया
62/6, नेहरू नगर, ईस्ट
अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
(माननीय कुलाधिपति के द्वारा नामांकित सदस्य) - सदस्य
9. डॉ. अनिता सिंह
सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग)
पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़
(कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय शैक्षणिक संकाय से मनोनीत) - सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) बीना सिंह
कुलसचिव (कार्यवाहक) - सचिव

निम्न सदस्य बैठक में उपस्थित नहीं हो सके -

1. श्री राजशरण भगत
उपाध्यक्ष
सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, रायपुर - सदस्य
2. श्री भोजराज नाग
उपाध्यक्ष
बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य
3. सचिव
छ.ग. शासन
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग
नया रायपुर (छ.ग.) - सदस्य

कार्य परिषद् के बैठक प्रारंभ होने पर माननीय अध्यक्ष के द्वारा निवर्तमान सदस्य डॉ. देवाल के. सिंहराय के सकारात्मक योगदान के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा उनके स्थान पर मनोनीत सदस्य प्रो. जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव सहित सभी उपस्थित

B. S. / 11.6.18

B. S. / 11.6.18

सदस्यों का स्वागत किया। सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर कार्यपरिषद के द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिये गये -

प्रस्ताव कं 1 विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 70 एवम् 71 वीं आपात बैठक की कार्यवाही-विवरण को सम्पुष्टि प्रदान करना तथा पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा 70 वीं व 71 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया तथा पालन-प्रतिवेदन पर संतोष व्यक्त किया गया।

पालन प्रतिवेदन में 70 वीं बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 10 (सनातक भाग एक, दो एवं तीन के आधार पाठ्यक्रम के पुस्तकों में कॉपीराइट उल्लंघन को संज्ञान में लेना तथा कार्यवाही पर विचार) में एक लेखक डॉ. जयपाल सिंह प्रजापति, सहायक प्राध्यापक (हिन्दी) के उत्तर को बैठक में रखा गया तथा यह निर्णय लिया गया कि माननीय कुलपति जी एक सदस्यीय समिति का गठन कर उसके प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव कं 2 विश्वविद्यालय की संत्रात परीक्षा जून-जुलाई, 2018 के संचालन हेतु 92 परीक्षा केन्द्रों को अग्रिम राशि रु. 60,48,900/- (साठ लाख अड़तालीस नौ सौ) की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रस्ताव कं 3 डॉ. बी.एल. गोयल, क्षेत्रीय निदेशक को दी गई कार्य करने की अनुमति की समय सीमा वृद्धि पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा पूर्व शर्तों के अधीन कार्यवृद्धि के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव कं 4 विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों में मानसेवी आधार पर अस्थाई रूप से कार्यरत कर्मचारियों को पुनः मानसेवी आधार पर कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद के द्वारा सर्वसम्मिति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय मुख्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों एवं अध्ययन केन्द्रों पर कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिन मानसेवी कर्मचारियों का गोपनीय प्रतिवेदन 'बहुत अच्छा' और 'उत्कृष्ट' है उन्हें दिनांक 16/06/2018 से दिनांक 07/12/2018 तक कार्य करने का अवसर दिया जाए। आवश्यक न होने पर या गोपनीय प्रतिवेदन में 'अच्छा' या

11.6.18

11.6.18

'सामान्य' वाले प्रकरणों में माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया कि वे उनके अपील पर उचित निर्णय लेंगे।

प्रस्ताव कं 5 विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक दिनांक 01/06/2018 के कार्यवाही-विवरण के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा विद्या परिषद् की 26 वीं बैठक के कार्यवाही-विवरण का अनुमोदन किया गया।

यह भी कि पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 की धारा 27 (अध्यादेश) में 'अध्यादेश कैसे बनाए जाय' के प्रावधान को सम्मिलित करने हेतु अधिनियम में संशोधन हेतु राज्य शासन को पत्र लिखा जाए।

प्रस्ताव कं 6 विश्वविद्यालय के सेटअप में स्वीकृत वाहन चालक एवं भृत्य के स्वीकृत वेतनमान "कलेक्टर दर" को आकस्मिकता निधि में परिवर्तित कर स्वीकृत करने संबंधी उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन के पत्र दिनांक 31/03/2018 पर विचार हेतु गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा निर्णय लिया गया कि शासन के पत्र दिनांक 31/03/2018 में वर्णित "इन पदों को आकस्मिकता स्थापना भर्ती नियम के प्रावधानों के अनुसार पद भरने की कार्यवाही सुनिश्चित करें" पर शासन से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये।

प्रस्ताव कं 7 विश्वविद्यालय में निर्माणाधीन कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को द्वितीय किश्त की राशि रु. 5 करोड़ स्वीकृति किये जाने पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए 5 करोड़ लोक निर्माण विभाग को देने की स्वीकृति दी गई। यह भी कि लोक निर्माण विभाग को कार्य प्रगति व उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने के लिए पत्र लिखा जाए।

अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सचिव के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव -

प्रस्ताव कं 8 अनुचित साधन प्रयोग संबंधी दंड विधान नियम, 2018 के अनुमोदन पर विचार।


निर्णय - कार्यपरिषद् के द्वारा नियम का अनुमोदन किया गया। अनुचित साधन प्रयोग संबंधी नियम, 2018 की कंडिका 3.1 के प्रावधानानुसार इस वर्ष के लिये कार्यपरिषद् सदस्य डॉ. एस. आर. पटेल को नामांकित किया गया।

B. L. S.
11.6.18


B. L. S.
11.6.18

प्रस्ताव क्रं 9 परीक्षार्थी कामना त्रिपाठी, एम.ए.पूर्व (अंग्रेजी) का संशोधित परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने पर विचार।

निर्णय - कार्यपरिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि परीक्षा समिति प्रकरण की जांच कर प्रतिवेदन दें, जिसे कार्यपरिषद् की अगली बैठक में रखी जावे। अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्त हुई।


(बीना सिंह)

कुलसचिव/सचिव


(बंश गोपाल सिंह)

कुलपति/अध्यक्ष


बिलासपुर, दिनांक 11/06/2018


पृ. क्रं. 1049 / का.प. / बैठक / 18,

प्रतिलिपि -

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
2. निज सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. सम्मानीय सदस्यगण -
- 3.1 प्रो. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, मानविकी अध्ययन विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
- 3.2 श्री भोजराज नाग, विधायक एवं उपाध्यक्ष, बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, द्वारा श्री आशीष पाठक, म.न. 157, बोरियाकला (हाउसिंग बोर्ड कालोनी) रायपुर।
- 3.3 श्री राजशरण भगत, विधायक एवं उपाध्यक्ष, सरगुजा एवं उत्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जशपुर, तह. एवं जिला जशपुर।
- 3.4 श्री एस.के.चक्रवर्ती, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.5 श्रीमती राजलक्ष्मी सेलट, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.6 श्री एस.एल. नायक, संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.7 सचिव, छ.ग.शासन, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- 3.8 डॉ. एस. के. जाधव, प्रोफेसर, जैव प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 3.9 श्री ओ. पी. सिंघानिया, 62/6, नेहरू नगर ईस्ट, अग्रसेन मार्ग, भिलाई, जिला दुर्ग।
- 3.10 डॉ. एस. आर. पटेल, एस. 16 के सामने, सेक्टर 2, अवंती विहार, तेलीबांधा, रायपुर (छ.ग.) 492006
- 3.11 डॉ. अनिता सिंह, सहायक प्राध्यापक (शिक्षा विभाग), पण्डित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर।

की ओर कार्यवाही-विवरण आपके अवलोकन एवं बहुमूल्य सम्मति हेतु प्रेषित है।

4. निज सहायक, कुलसचिव को कुलसचिव के सूचनार्थ।
5. वित्त अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. संबंधित विभाग प्रमुखों  को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कार्य परिषद् में लिये गये निर्णयों पर विभागीय कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण कर पालन-प्रतिवेदन शीघ्र अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।
7. नस्ती हेतु।


कुलसचिव